

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल - (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा / 2019 / 41

1. हनुमान सहाय पुत्र सोन्या उर्फ सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

- वादी -

बनाम

1. लक्ष्मा देवी पत्नी सोन्या उर्फ सोहन लाल
2. रामराय पुत्र सोन्या उर्फ सोहनलाल
3. गोकुल पुत्र सोन्या उर्फ सोहनलाल
4. लाडा पुत्री सोन्या उर्फ सोहनलाल
5. रामजीलाल दत्तक पुत्र रामसहाय
6. कन्हैया पुत्र छाजू
7. गोपाल पुत्र छाजू
8. शंकर पुत्र आनन्दा
9. दीपक पुत्र रामनारायण
10. ब्रजेश पुत्र रामनारायण

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

11. सुभाष सिन्धी कॉआपरेटीव हाउसिंग सोसायटी लि० जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि कृष्णानन्द भटनागर जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-



दावा बाबत घोषणा, विभाजन, एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अधीन धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित : 1. श्री एन.एल. शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी

2. श्री दिनेश कुमार सैन अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 9



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय -

दिनांक : 26.11.2021

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादी ने यह वाद वादपत्र के मद नंबर-1 में वर्णित भूमि के सम्पत्ति विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा का इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि जिसका उल्लेख वादपत्र के मद नंबर 1 में किया गया है वादी के पिता सोन्या उर्फ सोहनलाल के 1/3 हिस्से में से 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार वादी का अपने पिता के हिस्से 1/3 में से 1/4 हिस्से में से अपना 1/5 हिस्सा बनता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता सोन्या उर्फ सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने पिता सोन्या उर्फ सोहनलाल के हिस्से की भूमि पर अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं एवं काशत करते आ रहे हैं। एवं वादपत्र के मद नंबर-3 में भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी के भाई बहन हैं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का विरासत का नामांतरण नहीं खुला है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 विवादग्रस्त भूमि के सह खातेदार कृषक है प्रतिवादी संख्या 9 व 10 विवादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व० श्री रामनारायण के वारिसान हैं तथा सह खातेदार है। वादपत्र के मद नंबर 5 में उल्लेख किया गया है कि वादी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी में वादी का हक हिस्सा है तथा उक्त भूमि का आज दिन तक भी विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 11 वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से विवाद कर रहा है तथा फर्जी इकरारनामा के आधार भूमि क्रय करना बतला रहा है। तथाकथित फर्जी इकरारनामा वादी के अधिकारो के मुकाबले प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य व निष्प्रभावी है जिससे वादी विवादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है। विवादग्रस्त भूमि को वादी के पिता व अन्य सहखातेदारान काशतकारो ने जरिये इकरारनामा दिनांक 13.10.1995 के द्वारा सुभाष सिंधी को आपरेटिव लिमिटेड को विक्रय कर कब्जा उक्त सोसायटी को सम्भला दिया है। जिस पर उक्त सोसायटी ने आवासीय योजना ब्रजपुरी के नाम से विकसित कर भूखण्ड का आवंटन अपने सदस्यों को कर दिया है तथा उक्त भूमि वादी के पिता अथवा उनके सहखातेदार कृषको के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रही है बल्कि उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 03.06.2002 को वादी के पिता के जीवनकाल में ही न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-2, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 228/2002 सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम रामसहाय वगैरहा जिसमें वादी के पिता व उनके सहखातेदार काशतकार उक्त प्रकरण में पक्षकार है को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर उनकी उपस्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 90 ख की कार्यवाही पूर्ण कर वादी के पिता व अन्य खातेदारो कृषको के मध्य खातेदारी अधिकार समाप्त

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

कर उक्त भूमि को राज्य सरकार के हक में पुनर्ग्रहित कर उक्त भूमि का नामान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से स्वीकार कर लिया गया तथा सुभाष सिंधी को आपरेटिव सोसायटी की उक्त आवासीय योजना ब्रजपुरी में जो वादपत्र के मद नंबर 1 में वर्णित खसरा नंबर की भूमि है को कृषि से अकृषि में परिवर्तन होकर आवासीय कॉलोनी विकसित की जाकर सम्पूर्ण भूमि में आवासीय मकानात को निर्माण हो चुका है तथा उक्त भूमि के किसी भाग पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है लेकिन वादी ने मान्य न्यायालय से सही व वास्तविक स्थिति छिपाते हुये कपटपूर्ण मिथ्या अभिवचन करते हुए न्यायालय को धोखा देकर व गुमराह कर आवासीय भूमि को कृषि भूमि बतलाते हुए एवं स्वयं द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने का उल्लेख करते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है। जिससे आवासीय (आबादी) भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जिससे वादी का वाद सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने वादपत्र में इकरारनामों को अवैध व प्रभावशून्य घोषित करवाने तथा उक्त इकरारनामों से वादी स्वयं पाबन्द नही होने का उल्लेख करते हुये उक्त भूमि का विभाजन करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। किसी भी दस्तावेज तथा इकरारनामा, वसीयत, विक्रयपत्र, दानपत्र या अन्य किसी भी दस्तावेज को अवैध व प्रभावशून्य करवाने का केवल सिविल न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है राजस्व न्यायालय को इकरारनामों को निरस्त व प्रभावशून्य घोषित करवाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में भी उक्त भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित हो चुकी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी आवासीय भूमि के रूप में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से अंकित हो रही है। जिससे मान्य न्यायालय को यह वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद गलत व मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत करने के कारण मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी/वादी को जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 हेतु अनेक अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब का अवसर बंद कर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नियत की गई।

अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र की लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित है कि प्रार्थी का यह कथन की इकरारनामों के जरिये वादग्रस्त भूमि को सुभाष सिन्धी कॉपरेटिव सोसायटी को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था मिथ्या हो जाता है चुकि वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिसको विक्रय करने का वादी के पिता को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था तथापि वादी के पिता द्वारा कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया गया है इकरारनामा सोसायटी के प्रार्थी के साथ मिलीभगत कर कूठरचित कर तैयार किया गया है वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जो कि राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है तथा वादी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता व अन्य खातेदारों के नाम इन्द्राज न हो मिथ्या हो जाता है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90(ख) के तहत नहीं की गई है उक्त तमाम तथ्य वादी ने मिथ्या अंकित किये हैं तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 03.06.2002 को प्रकरण सं. 228/02 में न्यायालय प्राधिकारी जोन-2 द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 90ख के तहत नहीं की गई उक्त तथ्य प्रतिवादी सं. 9 ने जान बूझकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से तमाम तथ्य मिथ्या अंकित किये हैं उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये गये हैं ना ही राज्य सरकार ने पुनर्ग्रहित किया है ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम उक्त भूमि दर्ज है बल्कि उक्त भूमि कृषि भूमि है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को है वादग्रस्त भूमि आज भी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता एवं अन्य खातेदारों के नाम इन्द्राज चली आ रही है उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म कृषि है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जो कि राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन की उक्त वाद की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है मिथ्या हो जाता है। उक्त वाद की सुनवाई की अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर मुख्य अनुतोष अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का चाहा गया है जो कि अपने हिस्से 1/3 में से 1/4 हिस्से में अपना 1/5 हिस्से खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है साथ ही वादग्रस्त भूमि का विभाजन का अनुतोष चाहा गया है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है ऐसी स्थिति में वादी का मुख्य अनुतोष खातेदारी घोषणा एवं विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। इकरारनामे के संबंध में शुन्य एवं निष्प्रभावी होने का जो अनुतोष चाहा गया है उक्त अनुतोष अनुसंगिक अनुतोष है जो भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। सिविल न्यायालय को केवल मात्र रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि आबादी भूमि में परिवर्तन नहीं हुई है अपितु उक्त भूमि कृषि भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में काश्तकारों के नाम अंकित है उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से अंकित नहीं है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि खातेदारों के नाम अंकित है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिनांक 01.09.2011 को उक्त भूमि के खातेदारों को उक्त भूमि में से कुछ भाग सड़क निर्माण हेतु आवश्यकता होने पर आवाप्ति बाबत नोटिस जारी किये थे अगर उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम होती तो खातेदारों को आवाप्ति बाबत नोटिस जारी नहीं किये जाते इससे भी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि है वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है उक्त भूमि आवासीय भूमि नहीं है। वादी के साम्प्रतिक अधिकार उक्त वाद में नियत है जिसका निस्तारण तथ्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता बल्कि उक्त वाद में जवाब दावा आने के उपरांत तनकीयात कायम की जाकर विचारण किया जाकर ही विधि अनुसार निस्तारण किया जा सकता है इस स्तर पर प्रार्थी के अधिकारों को तय नहीं किया जा सकता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। लिखित बहस के विशेष विवरण में अंकित है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के स्कोप से बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के निस्तारण के समय कानूनन केवल मात्र वाद पत्र के अभिवचन एवं प्रथम देखे जाने है इस स्तर पर प्रतिवादीगण के दस्तावेज एवं आपत्तियों को नहीं देखा जा सकता है इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 9 की तरफ से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण में 12 प्रतिवादीगण है तथा प्रतिवादीगण संख्या 09 के साथ-साथ शेष प्रतिवादीगण का जवाब दावा आना शेष है तथा प्रकरण शेष प्रतिवादीगण जवाबदेही हेतु भी नियत है इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादी संख्या 09 दीपक को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी लोकस स्टेण्ड डाई प्राप्त नहीं है इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 09 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विशेष हर्ज-खर्च से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से उक्त वाद में दिनांक 01.11.2019 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 340 सीआरपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र के संबंध में विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार कृषक रामसहाय पुत्र स्व० श्री बालू शंकर पुत्र श्री आनन्दा, कन्हैयालाल, सोन्या, गोपाल, रामनारायण पुत्रान् छाजू निवासी ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान के द्वारा उनकी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि का अनुबंधन सुभाष सिंधी को ऑपरेटिव हाउसिंह सोसायटी लि० जयपुर के पक्ष में विवादग्रस्त आराजीयात को विक्रय करने का अनुबंधन कर दिनांक 13.02.1985 को विक्रय करने का अनुबंधन कर उक्त भूमि का उक्त समिति को विक्रय कर कब्जा सम्मला दिया है तथा उक्त समिति ने उक्त भूमि पर अपनी आवासीय योजना बृजपुरी सृजित कर अपने सभी सदस्यों को भूखण्ड का आवंटन कर कब्जा सभी सदस्यों को सम्मला दिया है। इस संबंध में उक्त समिति द्वारा श्रीमान के समक्ष उक्त समिति की आवासीय योजनाओं की सूची एवं काश्तकारो को भुगतान किये गये रसीदो का विवरण प्रस्तुत किया है तथा समिति के आवंटन पत्र, प्रस्तुत किये तथा उक्त समिति के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय


सदस्यों द्वारा अपने भूखण्डों में निर्माण करवाकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किये उन बिलों की फोटोप्रति प्राप्त की तथा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा उक्त भूमि की 90 ख की कार्यवाही दिनांक 03.06.2002 को कर दी गई है तथा उक्त भूमि कृषि से आवासीय में परिवर्तित कर दी गई है। इस संबंध में तहसीलदार महोदय ने मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर उक्त भूमि में रिहायशी मकानात ग्रेवल सडक एवं चार दीवारों का निर्माण होकर भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हो गया है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं आ रही है जिससे पूर्व में उपरोक्त सभी बिन्दुओं को निरस्त करते हुये 90 बी की कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया। मौके पर वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है बल्कि आवासीय भूमि है जिससे माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा उसने यह अंकित किया कि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उसने यह वाद प्रस्तुत किया है तथा दिनांक 03.06.2002 के प्रकरण सं. 228/2002 में माननीय प्राधिकृत अधिकारी जोन संख्या-2 द्वारा 90ख की कार्यवाही नहीं की गई ना भूमि पुनर्ग्रहित की गई ना ही खातेदारी अधिकार समाप्त किये गये। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से जो आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के मान्य न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2010 आर आर टी प्रथम पेज 404 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी कृषि भूमि में मकानात बन चुके हैं तथा आवासीय प्रयोजनार्थ के काम में आती है तथा आसपास में भी आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है तो वह भूमि कृषि भूमि न रहकर आवासीय भूमि के रूप में ही जानी जावेगी तथा ऐसी भूमियों के संबंध में वाद सिविल न्यायालय द्वारा ही सुना जावेगा। भले ही राजस्व रिकॉर्ड में वो कृषि भूमि अंकित हो रही होगी। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से मान्य न्यायालय में आदेश 90 ख दिनांक 03.06.2002 का प्रस्तुत किया। उक्त आदेश में तहसीलदार की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है तथा कृषि कार्य में नहीं आ रही है सडके बन चुकी है इसके अतिरिक्त सुभाष सिंधी को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों को भूखण्ड आवंटित कर कब्जा सम्भला दिया एवं उनके आवंटन पत्र, सदस्य सूची मकानात के फोटोग्राफस, बिजली के बिल प्रस्तुत किये हैं जिसमें उक्त भूमि पर उक्त समिति ने बृजपुरी आवासीय कॉलोनी सृजित कर दी है। तथा इस भूमि का कोई भी भाग बिल्कुल भी खाली नहीं है बल्कि सम्पूर्ण भूमि पर आवासीय मकानात व दुकानात का निर्माण हो चुका है। जिससे माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इकरारनामा दिनांक 13.02.1995 की जानकारी स्वयं वादी को भली प्रकार से रही है तथा उसकी उपस्थिति में ही उसके पिता ने उक्त इकरारनामा निष्पादित किया है।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

उक्त इकरारनामा को आज तक भी नरस्त नहीं करवाया है तथा किसी भी दस्तावेज को अवैध व प्रभावशून्य घोषित करने तथा निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। वाद में इस संबंध में स्वयं वादी ने अभिवचन कर अपने पिता द्वारा किये गये इकरारनामा को अवैध व प्रभावशून्य घोषित करवाने हेतु अनुतोष चाहा है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1988 आर आर डी पेज 79 व 610, 1984 आर आर डी पेज 874, 2015(2) आर आर टी पेज 1221, 1998 आर आर डी पेज 670 व 648, 2000 (1) सी सी सी पेज 422, 2014 (4) डी एन जे पेज 1792, 2020 डी एन जे पेज 463 सुप्रीम कोर्ट, 2016(3) डी एन जे पेज 1151, 2015 डब्ल्यू एल सी यू जी पेज 466, एआईआर 2017 राजस्थान पेज 46 प्रस्तुत है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में किसी भी दस्तावेज को अवैध व प्रभावशून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही है राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जिससे वादी का वाद सरसरी तौर पर ही इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ख के अनुसार उक्त भूमि कृषि से अकृषि में परिवर्तित हो चुकी है जिसकी जानकारी वादी को पूर्ण रूप से रही है लेकिन उक्त निर्णय के संबंध में जो एक लोक दस्तावेज है जिसको भी किसी भी सक्षम न्यायालय ने अवधि में चैलेंज नहीं किया तथा उक्त निर्णय को चैलेंज करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। 90 ख के आदेश के विरुद्ध संभ्रणीय आयुक्त महोदय के यहां प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत करने तथा उक्त आवेदन के साथ 90 ख के आदेश की फोटोप्रति न्यायालय में वर्ष 2019 में ही प्रस्तुत कर देने के पश्चात भी उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया तथा उक्त आदेश अन्तिम आदेश हो चुका है जिसके आधार पर ही वादी का वाद कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया तथा कपटपूर्ण अभिवचन अंकित करते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया है जिससे कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि वादी द्वारा तुच्छ वाद न्यायालय का समय व्यतीत करने की बदनियति से एवं प्रतिवादीगण को व्यर्थ में हैरान व परेशान करने की बदनियति से किया गया है एवं न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आकर कपटपूर्ण आशय से वाद पेश किया है तो ऐसे वादों को न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत प्रथमपेशी पर ही खारिज कर देना चाहिए इस हेतु न्यायिक दृष्टांत 2017 डीएनजे पेज-1 है। वादी को वादपत्र में वर्णित की गई भूमि के किसी भाग पर कोई कब्जा नहीं है तथा बिना कब्जे के आधार पर यह घोषणा का वाद कानूनी रूप से पोषणीय नहीं रहता है क्योंकि सम्पूर्ण भूमि पर बृजपुरी आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है। तथा आवासीय रूप में उपयोग हो रही है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2012(2) डब्ल्यू एल सी सुप्रीम कोर्ट पेज 220, 221, 2008 डब्ल्यू एल सी सुप्रीम कोर्ट पेज

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

210, 2007 सीसीसी 2 सैकिण्ड पेज 229, एआईआर 2014 पटना पेज 221 जिससे भी वादी का वाद घोषणा संबंधी पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से मौके के फोटोग्राफस पेश किये गये हैं जिसमें मकानात बने हुये हैं जिससे उक्त भूमि कृषि भूमि ना होकर आवासीय भूमि हो चुकी है। केवल प्रतिवादी संख्या 9 दीपक के विरुद्ध मिथ्या आरोप लगाकर यह लिखित बहस प्रस्तुत की गई है। जिससे सम्पूर्ण कानूनी प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद प्रथम दृष्टया रूप से खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।



प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की मौखिक बहस भी सुनी गई। लिखित बहस मौखिक बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन सी-2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के प्रकरण संख्या 228/2002 उनवानी सरकार बनाम रामसहाय वगै. निर्णय दिनांक 03.06.2002 के आधार पर विवादग्रस्त भूमि वाद प्रस्तुतीकरण की दिनांक को कृषि भूमि नहीं थी। ऐसी अवस्था में जबकि विवादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर राज्य सरकार/जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो चुके हैं एवम् मौके पर आवासीय रूपान्तरित हो चुकी है जब तक अप्रार्थी/वादी राजस्व अधिनियम की धारा 90-ख की कार्यवाही को निरस्त नहीं करवा लेते तब तक वादग्रस्त भूमि के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। ऐसे में अप्रार्थी/वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 की परिधि में आने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब इजलास
श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)

श्री हनुमान सहाय

बनाम

लक्ष्मा देवी वगै.

दावा बाबत घोषणा, विभाजन, एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अधीन धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 सीपीसी

मुकद्दमा नम्बर - दावा/2019/41

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल-। व हाजिरी वकील
वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता
है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज मुबलिग बाबत
खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.11.2021 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
		00			

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय